

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: INCLUSIVE EDUCATION BRANCH
AMRITA SHERGIL SCHOOL BUILDING
BEHIND LADY SHRI RAM COLLEGE,
LAJPAT NAGAR-IV, NEW DELHI-110024**

No. F.231/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/370-381

Dated: 27.01.2022

CIRCULAR

Copy of Notification for Recruitment Rules for the post of Supervisor Inclusive Education District in Directorate of Education, Govt. of N.C.T of Delhi, published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV on 22/01/2022, is hereby circulated for information to all concerned.

27/1/22
①

(NANDINI MAHARAJ, IAS)

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (IEB-HQ)

Encl: As above

No. F.231/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/370-381

Dated: 27.01.2022

Copy forwarded to the following for information :

1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi – 110069.
2. Secretary to Hon'ble Lt. Governor of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
3. Pr. Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary, Law, Justice & LA Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. Director, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
6. Deputy Secretary (Services), Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. Deputy Secretary (GAD), General Administration Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
8. Deputy Secretary, Delhi Subordinate Services Selection Board, Govt. of NCT of Delhi, FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92.
9. Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
10. All RDEs/DDEs/ADEs, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- ✓ 11. Section Officer (IT) to upload the circular along with RRs in the Recruitment Rules Section of the website of this Directorate.
12. Guard file.

27/1/22
①

(NANDINI MAHARAJ, IAS)

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (IEB-HQ)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232835
SG-DL-E-24012022-232835

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]	दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 2022/माघ 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 388
No. 39]	DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 2022/MAGHA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 388

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
(समावेशी शिक्षा शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

सं.फा. 231/डी.डी.ई. (आई.ई.बी.)/प्रशा0 सैल/2018/251.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पर्यावेक्षक समावेशी शिक्षा जिला पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, पर्यावेक्षक समावेशी शिक्षा जिला भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रयत्निक समावेशी शिक्षा जिला																				
2.	पदों की संख्या	:	12 * (2021) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।																				
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय राजपत्रित, समूह 'ख'																				
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर - 9 (53100-167800/- रुपये)																				
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद ।																				
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों तक शिथिलनीय) 6 (क) निर्णायक विवरण आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी।																				
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">अनिवार्य</th><th colspan="2">वांछनीय</th></tr> <tr> <th>योग्यता</th><th>अनुभव</th><th>योग्यता</th><th>अनुभव</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि</td><td>विशेष शिक्षा अथवा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव</td><td>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में पीएचडी</td><td>लागू नहीं</td></tr> <tr> <td>2. बी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी0एड0 (सामान्य शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा अथवा</td><td></td><td>योग्यता मानक टीप</td><td>अनुभव मानक टीप</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए</td><td>यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को</td></tr> </tbody> </table>	अनिवार्य		वांछनीय		योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि	विशेष शिक्षा अथवा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में पीएचडी	लागू नहीं	2. बी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी0एड0 (सामान्य शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा अथवा		योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप			अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए	यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को
अनिवार्य		वांछनीय																					
योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव																				
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि	विशेष शिक्षा अथवा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में पीएचडी	लागू नहीं																				
2. बी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी0एड0 (सामान्य शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा अथवा		योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप																				
		अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए	यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को																				

		बी0एड0 (सामान्य शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक प्रमाण-पत्र अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मानसिक मंदता) अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (बहु दिव्यांगता : शारीरिक एवं तंत्रिका संबंधी) अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (गतिमान दुर्बलता एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात) अथवा दृष्टि दोष में स्कैण्डरी स्तर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा मूक के अध्यापन में सीनीयर डिप्लोमा अथवा दृष्टि दोष में बी0ए बी0एड0 3 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ पंजीकरण		योग्यतायें संघ लोक सेवा आयोग के विवेक शिथिलनीय हैं ।	भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।						
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु – नहीं शैक्षणिक योग्यता – हां								
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष								
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<table><tr><th>पद्धति</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td>सीधी भर्ती</td><td>25</td></tr><tr><td>पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित</td><td>75</td></tr></table>	पद्धति	प्रतिशत	सीधी भर्ती	25	पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित	75		
पद्धति	प्रतिशत										
सीधी भर्ती	25										
पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित	75										
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	<p>पदोन्नति</p> <p>ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर –8 (47600–151100/–रुपये) में शिक्षा निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत पर्यवेक्षक समावशी शिक्षा अंचल में से पदोन्नति ।</p> <p>टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए</p>								

		<p>विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन के निम्नलिखित अधिकारी:-</p> <p>क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600-151100/-रूपये) नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत दो वर्षों की सेवा सहित</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अर्न्तगत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले</p> <p>टीप 1- भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे ।</p> <p>टीप 2 - केन्द्रीय / सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p>								
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<table><tr><th>विभागीय पदोन्नति समिति</th><th>विभागीय स्थाईकरण समिति</th></tr><tr><td>1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)</td><td>1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)</td></tr><tr><td>2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)</td><td>2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)</td></tr><tr><td>3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)</td><td>3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)</td></tr></table>	विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थाईकरण समिति	1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)	1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)	2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)	3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)
विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थाईकरण समिति									
1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)	1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष)									
2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)									
3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)	3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)									
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय आयोग से परामर्श आवश्यक है ।								

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

शिंंगारे रामचंद्र महादेव, पदेन संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Inclusive Education Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2022

No. F. 231/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/251.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of Supervisor Inclusive Education District in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(i) These rules may be called the Directorate of Education, Supervisor Inclusive Education District, Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix.-** The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person:

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(1)	Name of post.	Supervisor Inclusive Education District.			
(2)	Number of posts.	12* (2021) *Subject to variation dependent on workload.			
(3)	Classification.	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, B.			
(4)	Pay level in the Pay Matrix.	Level-9 (Rs.53,100 – 1,67,800/-)			
(5)	Whether Selection post/ Non-selection post.	Selection post.			
(6)	Age limits for Direct Recruits.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) 6(a)Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.			
(7)	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential		Desirable	
		Qualification	Experience	Qualification	Experience
		1. Masters Degree from recognized university 2. B.Ed (Special Education). OR B.Ed (General Education) with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education.	Three years experience in the field of special education or inclusive education for children with disabilities.	Ph.d in Special Education from a recognized university or institute.	Not applicable
				Qualification Standard Note	Experience Standard Note
				Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C.,	The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the

		<p>OR</p> <p>B.Ed (General Education) and Post graduate professional Certificate in Special Education.</p> <p>OR</p> <p>PG Diploma in Special Education (Mental Retardation).</p> <p>OR</p> <p>PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological).</p> <p>OR</p> <p>PG Diploma in Special Education (Locomotor impairment and Cerebral Palsy).</p> <p>OR</p> <p>Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment.</p> <p>OR</p> <p>Senior Diploma in Teaching the Deaf.</p> <p>OR</p> <p>BA B.Ed in Visual Impairment.</p> <p>3. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI)</p>		<p>for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications: Yes</p>			
(9)	Period of Probation if any.	Two years			
(10)	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Method.			Percentage.
		Direct Recruitment			25
		Promotion failing which Deputation including Short Term Contract			75
(11)	In case of recruitment by	PROMOTION :			

	promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<p>Supervisor Inclusive Education Zone under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi in Level-8 of the Pay Matrix (Rs.47,600 - Rs.1,51,100/-) with two years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p>Deputation - Including Short-Term Contract (ISTC) :-</p> <p>Officers under the Central Government/ State Government/ Union Territories/ Recognized Research Institute/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations :-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 of the Pay Matrix (Rs.47,600 - Rs.1,51,100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column no. 7.</p> <p>Note-1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>Note-2 : Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Promotion Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Secretary/ Secretary (Education) (Chairman) 2. Pr. Secretary/ Secretary (Labour) (Member) 3. Special /Add. Secretary (TTE) (member) 	<p>Departmental Confirmation Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Secretary/ Secretary (Education) (Chairman) 2. Pr. Secretary/ Secretary (Labour) (member) 3. Special /Add. Secretary (TTE) (member)
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Commission is necessary for filling up the posts by direct recruitment and while appointing an officer on deputation (ISTC)	

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMACHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Jt. Secy. (Education)